न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 133/2022

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. प्रतापराम	1.	रघुनाथसिंह दत्तक पुत्र रामनिवास
2. गोपालराम पिसरान घीसाराम जातिगण मेघवाल निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)	2.	श्यामसिंह पुत्र जगदीशसिंह जातियान चारण निवासीगण रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली
	3.	तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी संख्या 03 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 18/01/23

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा रेन्दड़ी तहसील सोजत के गत खसरा नम्बर 144 रकबा 4.4800 हैक्टर की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामनिवास, जगदीशसिंह पिसरान मोतीसिंह जाति चारण के नाम की खातेदारी, कब्जाकाश्त की आई हुई स्थित थी। उपरोक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जगदीशसिंह व रामनिवास पिसरान मोतीसिंह द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के खसरा संख्या 144 में से 0.1600 हैक्टर कृषि भूमि को वादीगण के पिता घीसाराम को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 07/02/1994 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि के खसरा संख्या 144 रकबा 4.4800 हैक्टर की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजसुदा थी। जिस कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादीगण द्वारा खसरा संख्या 144/1 रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि को हापुराम पुत्र ढ़गलाराम, 144/2 रकबा 0.1600 हैक्टर भूमि को चुन्नीलाल पुत्र ढ़गलाराम, 144/3 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि को भुण्ड़ाराम पुत्र उदाराम वगैरा को, 144/4 रकबा 0.0800 हैक्टर भूमि को मेगा पुत्र लाबु, 144/5 रकबा 0.2400 हैक्टर भूमि को धन्ना पुत्र तुलछा वगैरा को, 144/6 रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि को मूला पुत्र वाला, 144/7 रकबा 0.1600 हैक्टर भूमि को मोहनी पत्नी कानाराम, 144/9 रकबा 0.1600 हैक्टर रतनाराम पुत्र जोगाराम व खसरा संख्या 144/10 रकबा 0.3200 हैक्टर किसना पुत्र नाराराम को बेचान कर दी। जो बेचान करने से उक्त खरीददारान के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजसुदा है। शेष खसरा संख्या 144 रकबा 1.

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

8400 हैक्टर की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा है। खसरा नम्बर 144 रकबा 1.8400 हैक्टर में से 0.1600 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण के पिता की खरीदसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि है। जिस कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा वादीगण के पिता से प्रतिफल की राशि रूपये 4,000/– प्राप्त कर कब्जा वादीगण के पिता को उनके जीवनकाल में सुपुर्द कर बेचान कर दिया। जो बेचान दस्तावेज उप–पंजीयन कार्यालय सोजत में दिनांक 07/02/1994 को पंजीबद्ध किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा उक्त खसरा संख्या 144 रकबा 0.1600 हैक्टर भूमि का जो बेचान वादीगण के पिता घीसाराम जी को किया गया। वादीगण का मौके पर अपनी पुश्तैनी, कब्जासुदा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग आज भी किया जा रहा है। वादीगण के पिता द्वारा उपरोक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 07/02/1994 को खरीद करने के पश्चात् माफिक बेचान अनुसार राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाने हेतु सम्बंधित राजस्व कर्मचारी को उसकी प्रति दे दी थी। लेकिन सम्बंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा माफिक बेचान अनुसार वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नही किया गया। चूंकि वादीगण के पिता घीसाराम निरक्षर, अनपढ़, काश्तकार व्यक्ति थे, जिनको कानूनन एवम् राजस्व रेकर्ड की ज्यादा समझ नही थी तथा वक्त बेचान पंजीयन दस्तावेज को ही राजस्व दस्तावेज मान लिया व राजस्व रेकर्ड में अपना नाम बतौर खातेदार, काश्तकार दर्ज नही करवा सके। वादीगण के पिता घीसाराम के स्वर्गवास हो जाने के बाद वादीगण ने सम्बंधित पटवारी से वादग्रस्त कृषि भूमि का विरासती नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु सम्पर्क किया। जिस पर सम्बन्धित पटवारी ने वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही होने की जानकारी दी तथा यह भी बताया कि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसान के नाम इन्द्राज हुई, तत्पश्चात् उक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में जरिये विरासत के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम इन्द्राज की गई। लेकिन सम्बंधित राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वादीगण के पिता का वादस्थ कृषि भूमि में माफिक बेचान अनुसार 0.1600 हैक्टर भूमि का वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नही किया गया। चूंकि वादीगण के पिता अनपढ़, निरक्षर, काश्तकार व्यक्ति थे। जिसको राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजात में अपना नाम इन्द्राज होने की पूर्व में जानकारी नही हो पाई। वादीगण द्वारा वादस्थ कृषि भूमि से सम्बंधित सम्पूर्ण रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि सम्बंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा पूर्व में वादीगण के पिता का नाम माफिक बेचान अमल दरामद नही किया गया, जिस पर वादीगण ने माफिक बेचान के आधार पर अपने पिता घीसाराम का नाम इन्द्राज करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय में आवेदन किया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उपरोक्त बेचान करीब 25 वर्ष से अधिक का होने से उक्त बेचान के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा खातेदारी घोषणा के अभाव में अमल दरामद करने से इन्कार किया गया। इसलिये वादीगण उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

वादस्थ कृषि भूमि के खसरा संख्या 144 रकबा 1.8400 हैक्टर में से 0.1600 हैक्टर भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है। इस प्रकार राजस्व वाद–पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर सरहद मौजा रेन्दड़ी के खसरा संख्या 144 रकबा 4.4800 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा दिनांक 07/02/1994 को वादीगण के पिता को 0.1600 हैक्टर भूमि का बेचान किया गया, जिस बेचान अनुसार वादीगण वर्तमान रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 144 रकबा 1.8400 हैक्टर भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्जसुदा है में से 0.1600 हैक्टर भूमि की बेचान रजिस्ट्री दिनांक 07/02/1994 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर दिनांक 02.11.2022 को अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता वादीगण ने शहादव वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादीगण स्वयं का तुस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं के बयान पीडब्ल्यु–1 व पीडब्ल्यु–2 कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श –1, जिसकी फौटो प्रति प्रदर्श –1ए, बेचान रजिस्ट्री प्रदर्श–2 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श –2ए है। नामान्तरकरण संख्या 838 कीप्रमाणित प्रति प्रदर्श–3, नामान्तरकरण संख्या 766 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श – 4, नामान्तरकरण संख्या 786 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श –5 है व नामान्तरण संख्या 787 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–6 है वादस्थ भूमि के जमाबन्दी सम्वत 2053–5056 की प्रमाणित प्रतिलिति प्रदर्श –7, वादस्थ भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2049 से 52 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–8, वादस्थ भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2061 से 64 प्रदर्श –9, जमाबन्दी सम्वत 2065–68 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श –10 है। जमाबन्दी सम्वत 2069–72 प्रदर्श –11 है, पेश किये है। जिन्हे प्रदर्शितकरवाये गये, सा0मि0 है। जिरह प्रति शुन्य रही।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा रेन्दड़ी के खसरा संख्या 144 रकबा 4.4800 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा दिनांक 07/02/1994 को वादीगण के पिता को 0.1600 हैक्टर भूमि का बेचान किया गया। जिस बेचान अनुसार वादीगण वर्तमान रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 144 रकबा 1.8400 हैक्टर भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्जसुदा है में से 0.1600 हैक्टर भूमि की बेचान रजिस्ट्री दिनांक 07/02/1994 के आधार पर खातेदार वादीगण को काश्तकार घोषित किये जो की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही हेाना व्यक्त किया है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, बयान गवाह पीडब्ल्यु 01 तथा पीडब्यु 02, प्रदर्श 01 से 11 का अवलोकन किया एवं

वकील वादीगण की दौराने बहस मौखिक दलिलो पर मनन किया गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि विवादित आराजी सरहद मौजा सरहद मौजा रेन्दड़ी के खसरा संख्या 144 रकबा 4.4800 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा दिनांक 07/02/1994 को वादीगण के पिता को 0.1600 हैक्टर भूमि का बेचान किया गया था। जो कि प्रदर्श–2 बैचान रजिस्ट्री के अनुसार पुष्टि होती है। किन्तु सेवन से बैचान रजिस्ट्री के पश्चात नामान्तरकरण माफिक बैचान दर्ज नही किया गया। जिससे राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम यथावत रहा। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण विरासत से वादस्थ भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम इन्द्राज होना साबित होता है किन्तु माफिक पंजीबद्ध दस्तावेज विकित भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के पिता के नामहोनेसे रह गया जिससे विरास्त का नामान्तरकरण का गलत रूप से बिना जॉच पारित नामान्तरकरण संख्या 766 दिनांक 05.11.2017 की कार्यवाही को विधि सम्वत नही ठहराया जा सकता है। लिहाजा नामान्तरकरण संख्या 766 दिनांक 05.11.2017 को खारिज किया जाकर वादस्थ भूमि सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी के खसरा नम्बर 144 में बैचान रजिस्ट्री अनुसार 0.1600 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा रेन्दड़ी के खसरा संख्या 144 रकबा 4.4800 हैक्टर भूमि के दर्ज नामान्तरण संख्या 766 दिनांक 05.11.2017 विधि सम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। मौजा साण्डिया के खसरा नम्बर 144 में बैचान रजिस्ट्री दिनांक 07.02.1994 के आधार पर वादीगण को रकबा 0.1600 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकर घोषित किया जाता है। शेष भूमि का इन्द्राज यथावत रखे जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 16/01/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. प्रतापराम
2. गोपालराम पिसरान घीसाराम जातिगण मेघवाल निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रघुनाथसिंह दत्तक पुत्र रामनिवास
2. श्यामसिंह पुत्र जगदीशसिंह जातियान चारण निवासीगण रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955

राजस्व वाद संख्या :–

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गोविन्द दवे तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा रेन्दड़ी के खसरा संख्या 144 रकबा 4.4800 हैक्टर भूमि के दर्ज नामान्तरण संख्या 766 दिनांक 05.11.2017 विधि सम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। मौजा साण्डिया के खसरा नम्बर 144 में बैचान रजिस्ट्री दिनांक 07.02.1994 के आधार पर वादीगण को रकबा 0.1600 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकर घोषित किया जाता है। शेष भूमि का इन्द्राज यथावत रखे जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – **मुबलिग –** **बाबत —**

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16/01/23 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दाबला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.